

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 79
TO BE ANSWERED ON 09/02/2024

ALLOCATION OF FUNDS UNDER VARIOUS SCHEMES

*79. SMT GEETA ALIAS CHANDRAPRABHA

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to State?

(a) whether the funds allotted to Kerala, Karnataka, Assam, Maharashtra and Bihar under various schemes of the Ministry during the period 2021-24 are higher as compared to the recent past;

(b) if so, the allocation of funds there of annually from 2021-22 to 2023-24;

(c) whether Government has approved any special packages for Kerala, Karnataka, Assam, Maharashtra and Bihar from 2021-22 to 2023-24; and

(d) if so, the list of new special packages and the amount sanctioned thereof annually during the period 2021-22 to 2023-24?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(SHRI ARJUN MUNDA)

(a) to (d): A statement is laid on the table of the House .

STATEMENT IN RESPECT PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 79 DATED 09/02/2024 REGARDING ALLOCATION OF FUNDS UNDER VARIOUS SCHEMES.

(a) to (d): Agriculture being a State Subject, Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare supplements the efforts of States through appropriate policy measures and budgetary support under various schemes/programmes. Farmers are beneficiaries of some of the Schemes implemented by other Ministries like Ministry of Cooperation, Department of Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries and Ministry of Rural Development etc to make agriculture more remunerative and farmers get maximum benefit.

Funds from Budgetary Allocations are released to various States through the schemes operated by Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare are broadly categorized as Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes. The entitlement based schemes among the Central Sector Schemes like PM-KISAN envisage direct benefit transfer (DBT) directly into the accounts of the farmers as per the extant guidelines of the scheme. The centrally sponsored schemes, on the other hand, are implemented through State Governments as per the prevailing practice.

The government's dedication to the agriculture sector is demonstrated by a consistent rise in budget allocations and the introduction of numerous new schemes, majority of which are Central Sector schemes. In the financial year 2024-25, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare received Rs. 1,27,469.88 crore as budget allocation, a significant rise from the Rs. 27,931.59 crore allocated in 2012-13, showcasing sustained support for farmers. List of new schemes launched is as follows:

1. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)
2. Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY)
3. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
4. Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)
5. Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs)
6. National Agriculture Market (e-NAM)

7. Agriculture Infrastructure Fund (AIF)
8. National Mission on Edible Oil-Oil Palm (NMEO-OP)
9. National Beekeeping & Honey Mission (NBHM)
10. Crop Residue Management, under SMAM
11. Nam0 Drone Didi
12. Agri Startups programme under RKVY
13. Digital Agriculture

In addition to introducing new schemes, the government has also restructured ongoing Centrally Sponsored Schemes in to Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) and Krishonnati Yojana (KY) schemes to align them with emerging changes and effectively address the evolving challenges in agriculture. Centrally sponsored schemes have significantly contributed to agricultural development. For instance, the Per Drop More Crop (PDMC) component of the RKVY has covered 78 lakh hectares under micro-irrigation from 2015-16 to 2022-23. Additionally, through the Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) component of the RKVY, over Rs. 6748.78 crore has been released, leading to the distribution of more than 15,75,719 agricultural machinery and equipment, establishment of 23472 Custom Hiring Centres, 504 Hi-Tech Hubs, and 20597 Farm Machinery Banks. Details of achievements in respect of PDMC and SMAM in the states of Assam, Bihar, Maharashtra, Karnataka and Kerala are as follows;

Number of Machinery Distributed under Sub Mission on Agricultural Mechanization Since 2017-18 to as on date

State	TOTAL
ASSAM	970
BIHAR	28559
KARNATAKA	166538
KERALA	84778
MAHARASHTRA	65090
ALL INDIA	1575719

Year-wise area covered (2015-16 to 2023-24) under Micro Irrigation-PDMC Scheme

Area in Ha

S. N o.	State	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	Assam	0	0	782	70	10873	6731	12849	7960	1435
2	Bihar	5155	4228	3143	924	3967	1275	2087	4252	0
3	Karnataka	64220	139405	236107	234853	250591	321178	336053	166841	0
4	Kerala	561	310	358	965	583	389	385	1758	85
5	Maharashtra	35242	106172	132829	159959	171097	49878	113479	168389	0
	All India	572980	839961	1048934	1158519	1172572	937114	1015074	1102576	409980

The benefit accruing from the schemes are summarized at **Annexure**.

These schemes are applicable to all the States and fund release is dependent on the proposals received from the respective State Governments. Since 2023-24, a consolidated Annual Action Plan (AAP) for Centrally Sponsored Schemes is prepared by each state at the beginning of the financial year and is approved by the State Level Screening Committee (SLSC) chaired by the Chief Secretary and representatives of other stakeholders including that of Department of Agriculture and Farmers Welfare. This provides an opportunity for state governments to prioritize their specific requirements among various schemes. Moreover, flexibility to reallocate funds from one component to another among various components of RKVY has also been introduced, allowing states to make the best use of funds according to their specific needs. The revised system has also eliminated the multiple and varied approval mechanisms previously employed for different schemes.

Fund releases are based on utilization of previous installments and SNA balance under the schemes. No special package has been announced during the last 3 years for any State / States. The allocations/release for the 5 States from the Financial Year 2021-22 to 2023-24 are as given below:

Funds Allocated/Released During Last Three Years

(Amount in Rs crore)

State	2021-22			2022-23			2023-24	
	CSS*- allocation	PM KISAN- Amount released	PMFBY Premium Paid (Central Share)#	CSS- allocation	PM KISAN- Amount released	PMFBY Premium Paid (Central Share)#	CSS*- allocation	PM KISAN- Amount released##
Assam	493.82	926.47	76.07	672.67	560.57	65.69	991.53	768.93
Bihar	429.85	5033.44	-	418.17	4851.82	-	335.91	3181.83
Karnataka	1109.96	2872.39	877.95	1121.02	3414.03	1075.53	902.80	1975.20
Kerala	165.59	2186.05	47.16	184.16	1598.63	63.62	128.43	1213.80
Maharashtra	1100.67	6431.63	2455.91	1104.44	5655.85	2314.02	836.00	3850.28
Total	3299.88	17449.98	3457.08	3500.46	16080.90	3518.87	3194.67	10990.04

*Centrally Sponsored Schemes(CSS)

Figures as on 31 Dec 2023

only 2 instalments released so far in 2023-24

ACHIEVEMENTS OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER'S WELFARE

i. Record Production in Food and Horticulture

Food grain production has increased from 265.05 million tonnes in 2013-14 to record 329.69 million tonnes in 2022-23, which is the highest ever food grain production. The horticulture production was 351.92 million tonnes in 2022-23 which is highest ever for Indian Horticulture (as per 2nd advance estimates).

ii. Growth in Export of Agricultural commodities

The country has witnessed emphatic growth in export of agri and allied commodities. Agri and allied export has increased from 50.24 billion USD in 2021-22 to 53.15 billion USD in 2022-23 i.e. an increase of 5.8%.

iii. Increase in Minimum Support Price

Government has increased the MSP for all mandated Kharif, Rabi and other commercial crops with a return of at least 50 per cent over all India weighted average cost of production from 2018-19. MSP for Paddy (common) has increased from Rs. 1310 per quintal in 2013-14 to Rs. 2183 per quintal in 2023-24. MSP for Wheat increased from Rs. 1400 per quintal in 2013-14 to Rs. 2125 per quintal in 2022-23. Also there has been an increase in procurement from farmers.

iv. Income support and Risk Cover

PM-KISAN provides income support to farmers. Till now, Rs. 2.81 lakh crores have been transferred through Direct Benefit Transfer (DBT) to more than 11 crores beneficiaries (Farmers) through various instalments.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was launched in 2016 addressing problems of high premium rates for farmers and reduction in sum insured due to capping. A total of 5,696.8 lakh farmer applications were insured under the scheme since 2016-17. Total Rs 154469.0 crore has been paid as claim.

v. Institutional Credit for Agriculture Sector

Institutional credit for agriculture sector is increased from Rs. 7.3 lakh crore in 2013-14 with a target to reach Rs. 20 lakh crore in 2023-24. Benefit of concessional institutional credit through KCC at 4% interest per annum has also now been extended to Animal Husbandry and Fisheries farmers for meeting their short-term working capital needs.

Currently, a KCC Saturation drive, i.e. “Ghar Ghar KCC Abhiyan”, has been launched with a special focus on saturating PM KISAN beneficiaries to extend the benefit of KCC and interest subvention to the maximum farmers. Further, the GoI took an initiative under Viksit Bharat Sankalp Yatara (VBSY) to raise awareness through outreach activities to achieve saturation of various schemes, including the Kisan Credit Card (KCC). In addition, the GoI has launched the PM JANMAN Yojana, which aim to saturate PVTGs with other centrally sponsored schemes, including the Kisan Credit Card (KCC).

vi. Promotion of Organic Farming

The schemes Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) and Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) cater to the promotion of organic farming in the country. Under PKVY Scheme 32,384 clusters (20 ha each) formed, 6.53 lakh ha area covered and 16.19 lakh farmers have been benefitted.

GoI has already initiated Natural Farming through implementation of Bhartiya Prakritik Krishi Padhati (BPKP- a sub scheme of PKVY) since 2020-21. A total of 4.09 lakh ha area has already been covered in 8 States under BPKP. The BPKP scheme is being up scaled in Mission Mode as a separate as National Mission on Natural Farming to cover 7.5 lakh ha area by developing 15000 clusters. Under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), scheme for holistic growth of the horticulture sector, an additional area of 12.95 lakh ha. of identified horticulture crops has been covered.

vii. Agricultural Infrastructure Fund

In order to mobilize a medium - long term debt financing facility for investment in agri Infrastructure, Agriculture Infrastructure Fund (AIF) of Rs one lakh crore was launched in 2020. All loans under this financing facility have interest subvention of 3% per annum up to a limit of 2 crore. As on 26.01.2024 Rs.35,103 Crores have been sanctioned for 48,011 projects under

AIF, out of this total sanctioned amount 27,782 Crores are covered under scheme benefits. These sanctioned projects have mobilized an investment of Rs 59,627 Crores in agriculture sector.

viii. Promotion of FPOs

The Government of India has launched the Central Sector Scheme for “Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs)” in the year 2020. Formation & promotion of FPOs are to be done through Implementing Agencies (IAs), which further engage Cluster Based Business Organizations (CBBOs) to form & provide professional handholding support to FPOs for a period of 05 years including preparation and execution of business plan for the concerned FPOs for ensuring better marketing opportunities & market linkages on sustainable basis. So far 7,853 FPOs have been registered under the scheme in the country.

ix. Per Drop More Crop (PDMC)

In order to increase water use efficiency at the farm level through Micro Irrigation technologies i.e. drip and sprinkler irrigation systems, Per Drop More Crop (PDMC) scheme was launched during 2015-16. An area of 78 lakh hectare has been covered under Micro irrigation through the PDMC scheme from 2015-16 to 2022-23.. Moreover, a Micro Irrigation Fund (MIF) of initial corpus Rs 5000 crore was created with NABARD. In the Budget Announcement for 2021-22, the corpus of the fund was increased to Rs.10000 crores.

x. Promotion of Drone Technology in Agriculture

Looking into the unique advantages of drone technologies in agriculture, a Standard Operating Procedures (SOPs) has been released. In order to make this technology affordable to the farmers and other stakeholders of this sector, financial assistance @ 100 % cost of drone together with the contingent expenditure is provided for its demonstration on the farmers’ fields. So far an amount of Rs.141.41 crores have been released towards Kisan drone promotion.

xi. Nam0 Drone Didi:

The Government has recently approved a Central Sector Scheme for providing drones to the Women Self Help Group (SHGs) for the period from 2024-25 to 2025-26 with an outlay of Rs. 1261 Crores. The scheme aims to provide drones to 15000 selected Women Self Help

Group (SHGs) for providing rental services to farmers for agriculture purpose (application of fertilizers and pesticides). Under this Scheme, Central Financial Assistance @ 80% of the cost of drone and accessories/ancillary charges upto a maximum of Rs. 8.0 Lakhs will be provided to the women SHGs for purchase of drones. The Cluster Level Federations (CLFs) of SHGs may raise the balance amount (total cost of procurement minus subsidy) as loan under National Agriculture Infra Financing Facility (AIF). Interest subvention @ 3% on the AIF loan will be provided to the CLFs. The Scheme will help in infusing advance technology in agriculture for improved efficiency, enhanced crop yield and reduced cost of operation for the benefits of farmers. The scheme will also provide sustainable business and livelihood support to SHGs and they would be able to earn additional income of at least of Rs. 1.0 lakh per annum.

xii. Setting up E-NAM extension platform

Government has set up a National Agriculture Market (eNAM), a pan-India electronic trading portal which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for agricultural commodities. 1389 mandis of 23 States and 04 UTs have been integrated to e-NAM platform and more than 1.76 Crore Farmers & 2.5 Lakh traders have been registered on e-NAM portal.

xiii. Agri Startups

Under RKVY Agri-startup Programme, since 2019-20, 1524 Start-ups have been selected and Rs. Rs. 106.25 crore released as grants-in-aid for funding the Start-ups.

xiv. International Year of Millets

Since the declaration of the International Year of Millets (IYM) 2023 by the UNGA in 2021, Government has taken a proactive multi stakeholder engagement approach to achieve the aim of IYM 2023 and taking Indian millets globally. In order to investigate the gaps and challenges across the millets value chain and implementation of suitable solutions, 6 task forces were constituted. Also, 25 seed-hubs have been established to ensure availability of quality seed of latest improved varieties of Nutri cereals in the country. Millet missions have been launched across 13 states including Odisha, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Assam, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Gujrat, Rajasthan and

Uttarakhand. More than 500 start-ups and 350 FPOs have been established and are operational in the millet ecosystem as of now.

xv. Release of High Yielding Varieties of Crops

During 2014-23, 1890 climate resilient crop varieties including 893 of cereals, 319 of oilseeds, 338 of pulses, 103 of forage crops, 182 of fibre crops, 45 of sugar crops, and 10 of other crops were developed by the ICAR. Crop bio fortification is one of the sustainable and cost-effective approach to address the malnutrition particularly among the undernourished population. ICAR with needed policy support has accelerated the efforts to develop bio fortified varieties of crops. During 2022-23, 27 bio fortified crop varieties and 05 of Horticultural crops were developed which have higher essential nutrients.

xvi. Agristack

For better planning, monitoring, policy making, strategy formulation and smooth implementation of schemes a federated architecture is being developed.

AgriStack architecture has the following foundational layers: -

- Core registries
- Base databases
- Farmers Database: Farmers ID linked with land records
- Geo-referencing of plots
- Crop Survey, Crop planning and
- Soil Mapping, Soil Fertility
- Unified Farmers Service Interface for state.
- Data Exchange

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 79
09 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन

***79. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान केरल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और बिहार को आवंटित की गई निधियां गत वर्षों में आवंटित की गई निधियों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक इसके लिए वर्ष-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक केरल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और बिहार के लिए किन्हीं विशेष पैकेजों को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो नए विशेष पैकेजों की सूची क्या है और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 09.02.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 79 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) : कृषि राज्य का विषय होने के कारण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, मात्स्यिकी विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित कुछ स्कीमों के लाभार्थी किसान हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमों के माध्यम से विभिन्न राज्यों को बजटीय आवंटन से निधि को व्यापक रूप से केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पात्रता आधारित स्कीमों में स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किसानों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की परिकल्पना की गई है। दूसरी ओर, केंद्र प्रायोजित स्कीमों में प्रचलित पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बजट आवंटन में लगातार वृद्धि और कई नई स्कीमों की शुरुआत से प्रदर्शित होती है, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को बजट आवंटन के रूप में 1,27,469.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो 2012-13 में आवंटित 27,931.59 करोड़ रुपये से अत्यधिक है, जो किसानों के लिए निरंतर समर्थन को दर्शाता है। शुरू की गई नई योजनाओं की सूची इस प्रकार है:-

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
4. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
5. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
6. राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम)
7. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
8. राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम मिशन (एनएमईओ-ओपी)
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. एसएमएसएम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन
11. नमो ड्रोन दीदी
12. आरकेवीवाई के तहत कृषि स्टार्टअप कार्यक्रम
13. डिजिटल कृषि

नई स्कीमों को शुरू करने के अलावा, सरकार ने चल रही केंद्र प्रायोजित स्कीमों को भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) स्कीमों के रूप में पुनर्गठित किया है ताकि उन्हें उभरते बदलावों के साथ संयोजित किया जा सके और कृषि में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। केंद्र प्रायोजित स्कीमों से कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। उदाहरण के लिए, आरकेवीवाई के प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक ने 2015-16 से 2022-23 तक सूक्ष्म सिंचाई के तहत 78 लाख हेक्टेयर को कवर किया है। इसके अतिरिक्त, आरकेवीवाई के घटक कृषि यंत्रीकरण (एसएमएसएम) उप मिशन के माध्यम से, 6748.78 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं, जिससे 15,75,719 से अधिक कृषि मशीनरी और उपकरणों का वितरण, 23472 कस्टम हायरिंग सेंटर, 504 हाईटेक हब और 20597 फार्म

मशीनरी बैंक की स्थापना हुई है। असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में पीडीएमसी और एसएमएम के संबंध में उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है;

वर्ष 2017-18 से अब तक कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत वितरित मशीनरी की संख्या

राज्य	कुल
असम	970
बिहार	28559
कर्नाटक	166538
केरल	84778
महाराष्ट्र	65090
सम्पूर्ण भारत	1575719

सूक्ष्म सिंचाई-पीडीएमसी योजना के तहत वर्ष-वार (वर्ष 2015-16 से 2023-24) कवर किया गया क्षेत्र

क्रमांक	राज्य	क्षेत्रफल हे. में								
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	असम	0	0	782	70	10873	6731	12849	7960	1435
2	बिहार	5155	4228	3143	924	3967	1275	2087	4252	0
3	कर्नाटक	64220	139405	236107	234853	250591	321178	336053	166841	0
4	केरल	561	310	358	965	583	389	385	1758	85
5	महाराष्ट्र	35242	106172	132829	159959	171097	49878	113479	168389	0
	सम्पूर्ण भारत	572980	839961	1048934	1158519	1172572	937114	1015074	1102576	409980

उपरोक्त स्कीमों से होने वाले लाभ को संक्षेप में **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

ये स्कीमों सभी राज्यों के लिए प्रयोज्य हैं और निधि जारी करना संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है। वर्ष 2023-24 से, केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए समेकित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रत्येक राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष की शुरुआत में तैयार की जाती है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सहित अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली राज्य स्तरीय स्कीनिंग समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित की जाती है। इससे राज्य सरकारों को विभिन्न स्कीमों के बीच अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, आरकेवीवाई के विभिन्न घटकों के बीच एक घटक से दूसरे घटक में धन को पुनः आवंटित करने की छूट दी गई है, जिससे राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार धन का सर्वोत्तम उपयोग करने की अनुमति मिलती है। संशोधित प्रणाली ने राज्य में विभिन्न स्कीमों के लिए पहले से कार्यरत कई और विविध अनुमोदन तंत्रों को भी समाप्त कर दिया है, उनके स्थान पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) स्थापित कर दी गई है।

निधि जारी करना स्कीमों के तहत पिछली किशतों के उपयोग और एसएनए शेष पर आधारित है। पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी राज्य/राज्यों के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 5 राज्यों का आवंटन नीचे दिया गया है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित/जारी की गई धनराशि

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	2021-22			2022-23			2023-24	
	सीएसएस*- आवंटन	पीएम किसान- जारी की गई राशि	पीएमएफबीवाई- भुगतान किए गए प्रीमियम (केन्द्रीय हिस्सा) #	सीएसएस- आवंटन	पीएम किसान- जारी की गई राशि	पीएमएफबीवाई- भुगतान किए गए प्रीमियम (केन्द्रीय हिस्सा) #	सीएसएस- आवंटन	पीएम किसान- जारी की गई राशि##
असम	493.82	926.47	76.07	672.67	560.57	65.69	991.53	768.93
बिहार	429.85	5033.44	-	418.17	4851.82	-	335.91	3181.83
कर्नाटक	1109.96	2872.39	877.95	1121.02	3414.03	1075.53	902.80	1975.20
केरल	165.59	2186.05	47.16	184.16	1598.63	63.62	128.43	1213.80
महाराष्ट्र	1100.67	6431.63	2455.91	1104.44	5655.85	2314.02	836.00	3850.28
कुल	3299.88	17449.98	3457.08	3500.46	16080.90	3518.87	3194.67	10990.04

*केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)

आंकड़े 31 दिसंबर 2023 तक

वर्ष 2023-24 में अब तक केवल 2 किशतें जारी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की उपलब्धियाँ

i. खाद्यान्न और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन

खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013-14 में 265.05 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 329.69 मिलियन टन हो गया है, जो अब तक का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन है। बागवानी उत्पादन वर्ष 2022-23 में 351.92 मिलियन टन था, जो भारतीय बागवानी के लिए सबसे अधिक उत्पादन (द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार) है।

ii. कृषि से संबंधित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

देश ने कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 5.8% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 53.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

iii. न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। धान (सामान्य) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। किसानों से खरीद में भी वृद्धि हुई है।

iv. आय सहायता और रिस्क कवर

पीएम-किसान किसानों को आय सहायता प्रदान करता है। अब तक 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों (किसानों) को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से विभिन्न किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपये अंतरित की जा चुकी है।

किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को शुरू किया गया था। योजना के तहत वर्ष 2016-17 से कुल 5,696.8 लाख किसान आवेदनों को बीमित किया गया है। कुल 154469.0 करोड़ रुपये की राशि दावे के रूप में भुगतान की जा चुकी है।

v. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन एवं मात्स्यिकी किसानों को उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वार्षिक 4% ब्याज पर केसीसी के माध्यम से रियायती संस्थागत ऋण का लाभ भी दिया गया है।

वर्तमान में, अधिकतम किसानों तक केसीसी और ब्याज छूट का लाभ पहुंचाने के लिए पीएम किसान लाभार्थियों को संतुष्ट करने पर विशेष ध्यान देने के साथ केसीसी संतुष्टि अभियान, अर्थात् "घर घर केसीसी अभियान" आरंभ किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सहित विभिन्न स्कीमों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत पहल शुरू की। इसके अलावा, भारत सरकार ने पीएम जनमन योजना आरंभ की है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सहित अन्य केंद्र प्रायोजित स्कीमों से संतुष्ट करना है।

vi. जैविक खेती को बढ़ावा

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) को देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित किया गया है। पीकेवीवाई योजना के तहत, 32,384 क्लस्टर (20 हेक्टेयर प्रत्येक) बनाए गए, 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया और 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए।

भारत सरकार वर्ष 2020-21 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी-पीकेवीवाई की उप-योजना) के माध्यम से पहले ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। बीपीकेपी के तहत, देश के 8 राज्यों में कुल 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जा चुका है। बीपीकेपी योजना को मिशन मोड में प्राकृतिक खेती हेतु 15000 क्लस्टरों के विकास के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कार्यान्वित की जा रहे एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के तहत, चिह्नित बागवानी फसलों के लिए अतिरिक्त 12.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जा चुका है।

vii. कृषि अवसंरचना कोष

कृषि अवसंरचना में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के लिए, एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपये की सीमा तक के लिए प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट है। दिनांक 26.01.2024 की स्थिति के अनुसार एआईएफ के तहत 48,011 परियोजनाओं के लिए 35,103 करोड़ रुपये संस्वीकृत की गई है, इस कुल स्वीकृत राशि में से 27,782 करोड़ रुपये योजना लाभ के तहत कवर किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 59,627 करोड़ रुपये का निवेश एकत्र किया है।

viii. एफपीओ का संवर्धन

भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएसएस) आरंभ की है। एफपीओ का गठन और प्रचार कार्यान्वयक एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो 5 वर्षों की अवधि के लिए एफपीओ को पेशेवर प्रारंभिक सहायता प्रदान करने के लिये क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को नियोजित करते हैं, जिसमें संबंधित एफपीओ के लिए बिजनेस प्लान तैयार करना और उसका कार्यान्वयन

शामिल है ताकि सतत रूप से बाजार अवसर और बाजार लिंकेज सुनिश्चित किए जा सकें। अब तक देश में इस योजना के तहत, 7,853 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं।

ix. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)

वर्ष 2015-16 के दौरान आरंभ की गई प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य देश में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात् ड्रिप और स्पिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग क्षमता को बढ़ाना है। वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक, इस योजना के माध्यम से देश में 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) को नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कॉर्पस के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में, इस कोष के कॉर्पस को बढ़ा कर 10000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

x. कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा

कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अद्वितीय लाभों को देखते हुए, मानक फसल विशिष्ट प्रचालनात्मक प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई। किसानों और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों के लिए इस प्रौद्योगिकी को वहनीय बनाने हेतु आकस्मिक व्यय सहित ड्रोन की 100% लागत की वित्तीय सहायता किसान के खेतों पर इसके प्रयोग के लिए प्रदान किया जाता है। अब तक किसान ड्रोन के संवर्धन के लिए 141.41 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

xi. नमो ड्रोन दीदी:

सरकार ने वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्रक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ड्रोन और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत का 80% की दर से केंद्रीय वित्तीय सहायता, अधिकतम 8.0 लाख रुपये महिला एसएचजी को ड्रोन की खरीद करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ), राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर कार्यक्षमता लाने, बढ़ी हुई फसल उपज और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे कम से कम 1.0 लाख रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

xii. ई-नाम विस्तार मंच की स्थापना

सरकार ने एक राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) स्थापित किया है, जो एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय मंडी बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क बनाता है। 23 राज्यों और 04 संघ राज्य क्षेत्रों की 1389 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है और 1.76 करोड़ से अधिक किसानों और 2.5 लाख व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

xiii. कृषि स्टार्टअप

आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2019-20 से, 1524 स्टार्ट-अप का चयन किया गया है और स्टार्ट-अप के वित्तपोषण के लिए अनुदान सहायता के रूप में 106.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

xiv. अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष

यूएनजीए द्वारा 2021 में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईएम) 2023 की घोषणा के बाद से, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आईवाईएम 2023 के उद्देश्य को प्राप्त करने और भारतीय मिलेट्स को विश्वस्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय बहुल हितधारक व्यवसाय दृष्टिकोण अपनाया है। विभाग ने मिलेट्स (श्री अन्न) मूल्य श्रृंखला में अंतराल और चुनौतियों की जांच करने और उपयुक्त समाधानों के कार्यान्वयन के लिए 6 कार्य बल समितियों का गठन किया। देश में पोषक अनाजों की नवीनतम उन्नत किस्मों के गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 25 सीड-हब स्थापित किए हैं। मिलेट मिशन, 13 राज्यों नामतः ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में शुरू किए गए हैं। 500 से अधिक स्टार्ट-अप और 350 एफपीओ स्थापित किए गए हैं और ये अब तक मिलेट पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यरत हैं।

xv. फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों को जारी करना

वर्ष 2014-23 के दौरान, आईसीएआर द्वारा अनाज की 893, तिलहन की 319, दलहन की 338, चारा फसलों की 103, फाइबर फसलों की 182, चीनी फसलों की 45 और अन्य फसलों की 10 किस्मों सहित 1890 जलवायु अनुकूल फसल किस्मों विकसित की गईं। फसल जैव सुदृढ़ीकरण विशेष रूप से कुपोषित आबादी के बीच कुपोषण को दूर करने के लिए सतत और लागत प्रभावी दृष्टिकोण में से एक है। आईसीएआर ने आवश्यक नीतिगत समर्थन के साथ फसलों की जैव सुदृढ़ किस्मों को विकसित करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 27 जैव सुदृढ़ीकृत फसल किस्मों और 05 बागवानी फसलों का विकास किया गया, जिनमें आवश्यक पोषक तत्व अधिक हैं।

xvi. एग्रीस्टैक

बेहतर नियोजन, निगरानी, नीति निर्माण, कार्यनीति तैयार करने और योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक संघीय संरचना विकसित की जा रही है।

एग्रीस्टैक आर्किटेक्चर में निम्नलिखित मूलभूत घटक हैं: -

- कोर रजिस्ट्रियां
- आधार डेटाबेस

- किसान डेटाबेस: भूमि रिकॉर्ड के साथ लिंकड किसान आईडी
- भूखंडों का भू-संदर्भन
- फसल सर्वेक्षण, फसल नियोजन और
- मृदा मैपिंग, मृदा उर्वरता
- राज्य के लिए समेकित किसान सेवा इंटरफ़ेस
- डेटा एक्सचेंज

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि देश में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इसमें दस साल के पहले की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र देश की बहुत बड़ी आबादी को ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...**(Interruptions)**.. Mr. Bajpayee, why don't you sit down? ...**(Interruptions)**... But why are you getting up? ...**(Interruptions)**.. No one should get up. ...**(Interruptions)**.. And you are the Chief Whip of the Party, Sir. ...**(Interruptions)**.. Yes, Hon. Minister.

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: महोदय, देश की बहुत बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र और उद्योग के लिए, जीवन के लिए कृषि पूरक क्षेत्र से अवलंबित है। इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम देश का कृषि क्षेत्र करता है, हमारे किसान करते हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि पहले इसको सरकार से क्या मदद मिल रही थी और अभी क्या मदद मिल रही है। महोदय, 2014 में कृषि क्षेत्र का बजट केवल 27,000 करोड़ रुपये था। अभी हमने हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का बजट 1, 25,000 करोड़ रुपये का रखा है। कल इस सदन में बहस हो रही थी कि इस बजट को यूज नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूँ कि यह बजट हम राज्यों को देते हैं। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में implementing agency स्टेट है। हम अलग-अलग योजनाओं के तहत स्टेट को पैसे देते हैं। उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक SLA Committee है। हरेक जिले को क्या चाहिए, वहां क्या कमियां हैं, उनके आधार पर प्रोग्राम बनाना चाहिए। स्टेट्स से कई बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, इसके कारण वहां पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसके कारण वह पैसा वापस आ जाता है। हमारी सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के तहत पैसे रखे हैं। सर, 2014 में देश का उत्पादन 246 मिलियन मीट्रिक टन था और अभी इस साल हमारे देश के कृषि उत्पादन में दाल में 329 मिलियन मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हो गई है, सब्जी और फल में 355 मिलियन मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हो गई है और हम दाल सरप्लस में उगा रहे हैं। We are producing surplus in the country. सर, हमारे देश के जीडीपी में हम कृषि क्षेत्र से 18 परसेंट का योगदान दे रहे हैं। देश में निर्यात करने में हम पांचवें नम्बर पर पहुंच रहे हैं और 54 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात इस साल हमने किया है। सर, इसका एक ही कारण है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किसान सम्मान योजना के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को 2 लाख 81 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। हमने फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की आपदा के समय मदद की है। हमारे देश की फसल बीमा योजना पूरे विश्व में नम्बर वन हो गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहे हैं। किसानों के अकाउंट में 1 लाख 50 हजार करोड़ का भुगतान हमने किया है, जो कि वर्ल्ड में नम्बर वन है। इसी तरह से हम कृषि मैकेनाइजेशन योजना में किसानों की मदद कर रहे हैं। हमने 44 हजार किसानों को सब्सिडी पर

मशीनरीज दी हैं। उसको 23 हजार करोड़ रुपया दिया है। 20 हजार सेंटर्स में हमने मशीनरी बैंक रखे हैं। सर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 10 हजार एफपीओज बनाएंगे, हमने 4 करोड़ 57 हजार रुपए इसके लिए रखे हैं और 7, 747 एफपीओज अभी तक हो गए हैं। सर, मैकेनाइजेशन के साथ-साथ हम डिजिटल कृषि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नमो ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम ऐसी 30 हजार नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग देंगे। खाद के संबंध में अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या उन्नति हमने की है। पहले की सरकार ने 2014 में 71 हजार रुपए खाद के लिए रखे थे, हम 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपए खाद की सब्सिडी पर दे रहे हैं। सर, इस तरह से पूरे प्रोग्राम के कारण हमारा उत्पादन और उत्पादकता, दोनों बढ़ रहे हैं।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: सर, मेरा माननीय मंत्री महोदया से दूसरा प्रश्न है कि एमएसपी के माध्यम से देश में कुल कितना खाद्यान्न खरीदा गया तथा देश में कुल कितने किसानों को एमएसपी का लाभ प्राप्त हुआ?

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: माननीय सभापति जी, एमएसपी के माध्यम से पहली बार हमारा देश ज्यादा खरीदने लगा और प्रोक्योरमेंट करने लगा। वर्ष 2014-15 में गेहूं की खरीद हुई थी, प्रोक्योरमेंट हुआ था, वह 281 लाख मीट्रिक टन हुआ था और अभी लास्ट ईयर के प्रोक्योरमेंट में 433 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हो गई है। हमने 50 लाख किसानों को इसी से पैसा दिलाया है और उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। ऐसे ही पैडी में पहले 478 लाख मीट्रिक टन हुआ था, अब उसमें 881 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हो गई है। सर, pulses में 2014-15 के आंकड़े ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि तब वे खरीदते ही नहीं थे। अब हम pulses को, दाल को खरीद रहे हैं। मोटे अनाज को हम खरीद रहे हैं। मोटे अनाज का निर्यात भी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाने के बाद 30 परसेंट बढ़ गया है।

सर, 2014-15 में जब हम व्हीट खरीदते थे, उस पर एक्सपेंडिचर करते थे, तब हमने Rs. 39 thousand, 380 की खरीद की है और Rs. 85 thousand crore किसानों को डीबीटी के तहत दिए हैं। सर, जब हम पहले व्हीट खरीदते थे, तो एमएसपी के तहत Rs. 66 thousand crore किसानों तक पहुंचते थे, लेकिन अब हमने एमएसपी के तहत किसानों को 1 लाख, 72 हजार करोड़ का भुगतान किया है। सर, अब हम इसको बहुत बड़ी मात्रा में एमएसपी के तहत खरीदने लगे हैं। हम ऑयल सीड्स और दाल भी ज्यादा खरीदने लगे हैं। पहले दाल में 40 परसेंट की कैप थी कि 40 परसेंट खरीदना है, लेकिन इस साल हमने इसको भी निकाल दिया है और किसान क्या उगाते हैं, उसको पूरा खरीदने की कोशिश की है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary by Dr. Ashok Kumar Mittal.

डा. अशोक कुमार मित्तल: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले पाँच वर्षों में 1 लाख करोड़ का unspent budget वापस कर दिया गया है। भारत सरकार या मंत्रालय जब बजट बनाता है, तो उसके प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं करने की वजह से यह पैसा, जो वापस जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या प्रावधान किया

जा रहा है? "किसान सम्मान योजना" की राशि, जो 2019 से सिर्फ 6 हजार रुपये है, क्या सरकार उसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने पर विचार कर रही है?

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: माननीय सभापति जी, हमने अपने बजट में ज्यादा पैसा रखा है, जो 1 लाख, 25 हजार करोड़ है। यह पैसा स्टेट्स को जाता है क्योंकि इम्प्लिमेंटेशन एजेंसी राज्य है। वह आरकेवीवाई स्कीम हो या कोई और स्कीम हो, जैसे वहाँ cold storage बनाना हो, warehouse बनाना हो, soil testing labs बनाने हों, food testing lab बनाना हो, ये सब काम स्टेट में करते हैं। जिले की क्या आवश्यकताएं हैं, वहाँ पर क्या कमियाँ हैं, उसके आधार पर प्रोजेक्ट प्रोग्राम बनाना होता है। वहाँ स्टेट में चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी है, जिसका नाम State-level Screening Committee है। वे लोग वहाँ बैठकर विचार करते हैं कि हमारे राज्य में कौन से जिले को क्या चाहिए। उसके आधार पर प्रोग्राम बनाना होता है। हम यहाँ से पैसे भेजते हैं, लेकिन वे प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, इस कारण से वह पैसा वापस आता है। हमने बहुत बार राज्यों को चिट्ठी लिखी है और बहुत बार रिमाइंडर भी भेजा है, फिर भी वे उधर प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, इस कारण से वह पैसा वापस आता है। मैं आपके माध्यम से हर स्टेट से एक मांग करती हूँ कि आप अपने स्टेट से लिए प्रोजेक्ट प्रोग्राम बनाइए और हमारे पास भेजिए, हमारा कृषि डिपार्टमेंट उसे जरूर देखेगा और हम उसके लिए पैसा भी मंजूर करेंगे।

DR. V. SIVADASAN: Sir, the question is whether funds allotted to Kerala, Karnataka and...

MR. CHAIRMAN: Please. सुश्री कविता पाटीदार, आप अपना प्रश्न पूछिए।

सुश्री कविता पाटीदार: माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा "नमो ड्रोन दीदी योजना" जैसी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या "नमो ड्रोन दीदी योजना" के अंतर्गत महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे ऋण के ब्याज में भी छूट प्रदान की जा रही है?

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: माननीय सभापति महोदय, अभी प्रधान मंत्री जी ने 30 हजार ड्रोन महिला दीदी को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। हम इसमें 15 हजार महिलाओं को ड्रोन देंगे और सब्सिडी भी देंगे। हम महिलाओं के लिए 50 परसेंट से ज्यादा सब्सिडी देने वाले हैं। वह अभी केवीके में है और आने वाले दिनों में हम महिलाओं को सब्सिडी देकर ड्रोन देंगे और ट्रेनिंग देंगे, एक असिस्टेंट भी देंगे। इस तरह से हम टोटल 30 हजार महिलाओं को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan. आप कुछ पहले बोल गए, थोड़ा इंतज़ार करते, मैंने आपका नाम लिखकर रखा हुआ था।

DR. V. SIVADASAN: Sir, the Hon. Minister has given the data relating to fund distribution and Kerala's contribution to agriculture sector. I think it is the duty of the Union Government to protect all the States. Here, the data shows that under PM-Kisan in 2021-22, Rs. 2,185.05 crore were given to the State of Kerala, but you have reduced it to Rs. 1,598.63 crore. Why has the amount been reduced? Is it because of the targeting agenda of the Union Government?

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: सभापति जी, किसान सम्मान योजना में लैंड रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास होता है। इस लैंड रिकॉर्ड को आधार से जोड़ना, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को जोड़ना, यह काम राज्य सरकार को करना है। ...**(व्यवधान)**... सर, हमने डिफरेंस ऑफ स्टेट्स जैसा कुछ नहीं किया है। हम हरेक राज्य को, हरेक किसान को एक सा देखते हैं और एक आँख से देखते हैं और यही प्रधान मंत्री जी की इच्छा है। आपका स्टेट लैंड रिकॉर्ड से आधार को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है और आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंकड है, इसके लिए उसे बैंक अकाउंट से जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण उधर किसान सम्मान कम मिल रहा है। सर, कुछ राज्यों में ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वे लैंड रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। उधर, नीचे स्तर के अधिकारी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के अधिकारी द्वारा किसान के पास जाकर, उसके लैंड रिकॉर्ड को चैक करके, उसे आधार से जोड़ने का काम करना जरूरी है। हम सब किसानों को इसका लाभ देंगे, except who are paying tax.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, at my request, yesterday, the Hon. Finance Minister had, in very great detail, responded to Shri Surjewala on this point. You kindly go through it. If there are other issues, then, you can raise them. She had graphically given details why there are different numbers and what is required. You may have a different perception. Then you can raise an issue after going through that.

MR. CHAIRMAN: Now, Q.No.80.